



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

पो0-गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404

संख्या : 4300/19/ई-2/जे.ई./डी.आर./2012-13

दिनांक 01 मई, 2017

अनुभाग : परीक्षा अनुभाग-2

विज्ञापन संख्या : ए-1/ई-2/2015-16

**संयुक्त कनिष्ठ अभियन्ता चयन परीक्षा-2013 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) लोक निर्माण विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग तथा कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) पेजयल विभाग के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार परीक्षा**

## साक्षात्कार ज्ञाप

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि संयुक्त कनिष्ठ अभियन्ता चयन परीक्षा-2013 के दिनांक 02.06.2016 तथा दिनांक 14.07.2016 को घोषित परिणाम के आधार पर आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित साक्षात्कार कार्यक्रम के अनुसार आपका साक्षात्कार आयोग कार्यालय में दिनांक 15, 16 एवं 17 मई, 2017 के पूर्वान्ह 9.30 बजे/अपरान्ह 12:30 बजे होना निर्धारित है।

2. इस ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट पर प्रदत्त लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी विभागवार वरीयता प्रपत्र (Preference Sheet) भरना सुनिश्चित करें। वरीयता प्रपत्र को नियमानुसार भरने के पश्चात अभ्यर्थी वरीयता प्रपत्र (Preference Sheet) की प्रति डाउनलोड करते हुए उसकी स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें। एक बार विभागों की ऑनलाइन वरीयता भरने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्त नहीं है। वरीयता प्रपत्र हेतु आयोग की वेबसाइट पर लिंक दिनांक 01.05.2017 से 14.05.2017 तक उपलब्ध रहेगा।

3. इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ साक्षात्कार तिथि को प्रस्तुत करेंगे- (1) विस्तृत आवेदन-पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या-02) (2) प्रमाणीकरण प्रपत्र (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या-03) (3) देशना प्रपत्र (Index Card) (प्रपत्र संख्या-04)

3. अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे-

(i) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंकतालिका। (ii) इण्टरमीडिएट का प्रमाण-पत्र एवं अंकतालिका। (iii) विद्युत/यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा एवं अंकतालिका (समस्त सेमेस्टर/वर्षों की)। (iv) स्नातक डिग्री एवं अंकतालिका (समस्त सेमेस्टर/वर्षों की)। (v) अन्य अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (vi) अधिमानी अर्हताओं (Preferential Qualifications) (यदि कोई हो) सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (vii) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (viii) अभ्यर्थी यदि किसी सेवा में सेवारत है तो सेवानियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र मूलरूप में। (IX) सेवायोजन पंजीयन प्रमाण पत्र। (X) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता/पति के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।

**अभ्यर्थियों को उक्तानुसार साक्षात्कार के समय समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

**उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।**


4. साक्षात्कार प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क (सामान्य वर्ग हेतु ₹80.00 एवं आरक्षित वर्ग/पूर्व सैनिक ₹30.00) आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी।

5. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज (आवक्ष) के नवीनतम दो स्वप्रमाणित फोटोग्राफ अवश्य लाएं।

6. यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर प्रस्तुत करना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।

7. विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

8. आयोग परिसर में मोबाइल फोन, ब्ल्यूटूथ डिवाइस, कैमरा तथा अन्य किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण लाना निषिद्ध है।

  
(अनुपमा काण्डपाल)  
अनुभाग अधिकारी।